न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 45 / 2022
जीसीएमएस न. 2022 / 00070

वादीगण–

1. सुखाराम पुत्र सीताराम, जाति–जाट, निवासी–अडबड, तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. प्रहलादराम पुत्र सीताराम
2. जिमनाराम उर्फ जवानाराम पुत्र सीताराम
   जाति–जाट, निवासी– अडबड, तहसील–जायल (नागौर)
3. तहसीलदार, जायल

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र सिंह राठोड अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– निर्णय –

दिनांक : 25/05/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 सगे भाई है। इनके एक और भाई हरीराम थे जो फोत हो गये जो वाद की विषय वस्तु नहीं होने से पक्षकार नहीं बनाया गया है। इन सबकी सयुंक्त खातेदारी की पुश्तैनी तथा शामिल परिवार रहते हुये सयुंक्त कमाई से खरीदसुदा भूमिया मौजा अडबड तहसील जायल में ख.न. 184 रकबा 1.9182 हेक्टेयर, ख.न. 255 रकबा 2.4848 हेक्टेयर, ख.न. 255 / 858 रकबा 0.8094 हेक्टेयर, ख.न. 742 / 928 रकबा 1.7806 हेक्टेयर आई हुई है। जिन पर प परिवार शामिल ही काश्त करते थे। इनमे से खेत ख.न. 742 / 928 तीनो भाईयों ने शामिल रहते हुये शामलाती कमाई से खरीद किया था लेकिन प्रतिवादी सं. 1 सबसे छोटा होने से रजिस्ट्री उसके ना करवा दी। इसने अलावा अन्य भूमिया थी जिनमें से इनके भाई हरीराम काफी अरसे पहले बंट में लेकर अलग हो गये। लेकिन वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 शामिल ही काश्त करते रहे। पक्षकारान के पिता के स्वगवास बहुत पहले हो गया लेकिन अपनी माता के जीवित रहते तीनों भाई शामिल ही रहे। लेकिन बीच में खाते छोटे करने के लिए कागजी तौर पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने भूमियों का विभाजन कर लिय परन्तु काश्त शामिल ही करते रहे।

वादी एवं प्रतिवादीगण कम पढे लिखे ग्रामीण परिवेश के होने से यह बंट तार्किक नहीं हो पाया तथा नक्शे की तरफ ध्यान नही दिया। अब कुछ वर्षो पहले माता का स्वर्गवास होने पर तीनों भाईयों ने

25/05/2022

अपने खेतों का अंतिम तौर पर विभाजन कर लिया तथा उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त होकर अलग अलग काश्त करने लग गये। इस विभाजन के अनुसार वादी के बंट मे मौजा अडबड के खेत ख.न. 184 रकबा 1.9182 हेक्टेयर रखा है। प्रतिवादी सं. 1 के बंट में खेत ख.न. 255 रकबा 2.4848 हेक्टेयर, तथा ख.न. 255/858 रकबा 0.8094 हेक्टेयर जो दोनो खेत चिपते ही रखे गये है। प्रतिवादी सं. 2 जिमनाराम उर्फ जवानाराम के बंट में खेत ख.न. 742/928 रकबा 1.7806 हेक्टेयर रखा गया है। लेकिन इस वास्तविक बँटवाडा का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने से तथा पुराने कागजी विभाजन के अनुससार रेकर्ड मे अस्त वयस्त इन्द्राज होने से यह दावा वास्ते रेकर्ड दुरस्ती के लिए पेश करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। खातेदारी अस्त व्यस्त दर्ज होने से घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरस्ती के पेश किया जा रहा है जिसमें राज्य सरकार आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार जायल को पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का बंटवाडा होने क उपरांत भी माफिक बंटवाडा राजस्व रिकॉड में अमल दरामद नहीं होने से व कागती बंटवारे के अनुसार रिकॉर्ड अस्त व्यस्त हो जाने से वमुकाम अडबड तहसील जायल पैदा होने पर वाद लाना लाजमी आया है।

वाद वादी ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के पेरा सं. 5 मे वर्णित बंटवारा स्किम अनुसार स्वीकार किया जाकर सादिक डिक्री की जावे तथा इसी माफिक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सिंह राठोड ने वकालतनामा पेश कर इकबालिया जवाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से इकबालिया जवाब पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र सुखाराम का पेश हुआ साथ नकल जमाबन्दी ग्राम अडबड तहसील–जायल नकल जमाबन्दी खाता सं. 209, 491, व 127 सम्वत् 2073–2076 प्रदर्श–1 से प्रदर्श 3 कराई। अधिवक्ता वादी द्वारा और साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वाद का समर्थन कर इकबालिया जवाब पेश हो चुका है। वादग्रस्त भूमिया वादी एवं प्रतिवादीगण की बडेर की भूमि होकर शामिल काश्त की रही है। कागजी बंटवाडा अनुसार रेकर्ड अस्त व्यस्त हो जाने से वादी ने वाद पेश किया है। वादी एव प्रतिवादी सं. वाद के पैरा सं. 5 मे वर्णित बंटवारा स्किम अनुसार काबिज होकर अपने अपने बंटनुसार काश्त करते आर रहे है। इसलिय वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के पैरा सं. 5 मे वर्णित बंटवारा स्किम के वादी एवं प्रतिवादी के नाम घोषणा खातेदारी की जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जावे।

पत्रावली पर रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। ग्राम मौजा अडबड तहसील जायल में ख.न. 184 रकबा 1.9182 हेक्टेयर, ख.न. 255 रकबा 2.4848 हेक्टेयर, ख.न. 255/858 रकबा 0.8094 हेक्टेयर, ख.न. 742/928 रकबा 1.7806 हेक्टेयर के राजस्व रेकर्ड एवं वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि वादग्रस्त भूमि पक्षकरान् के बडेर की भूमि रहकर पूर्व में जरिये बंटवाड़ा खातेदारी दर्ज हो रखी है। प्रस्तुत वाद में वादी ने प्रतिवादी संख्या के बंट में आई हुई खातेदारी खसरा नंबर 284 बाबत् घोषणा खातेदारी की इस्तदुआ की है साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज खसरा नंबर 742/928 का बंट प्रतिवादी संख्या 2 के हक बंट कब्जा काश्त में रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में वादी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 255 रखा गया है इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य खेताय का विनिमय होना प्रतीत होता है। अतः वाद वादी का स्वीकार किया जाता है तथा विनिमय का मामला प्रतीत होने से राजहक में नियमानुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाना न्यायोचित है।

— : : आदेश : : —

अत् वादी का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. मौजा अड़वड़ के खेत खसरा नंबर 184 रकबा 1.9182 वादी सुखराम के हक बंट में रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. मौजा अड़वड के खेत खसरा नंबर 255/858 रकबा 0.8094 व खेत खसरा नंबर 255 रकबा 2.4848 पूरा प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलादराम के हक बंट कब्जा काश्त में रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. मौजा अड़वड़ के खेत खसरा नंबर 742/928 रकबा 1.7806 प्रतिवादी संख्या 2 जिमनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. मामला विनिमय की प्रकृति का होने से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।

25/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 25/05/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

25/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 45/2022
जीसीएमएस न. 2022/00070

वादीगण–

1. सुखाराम पुत्र सीताराम, जाति–जाट, निवासी–अडबड, तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. प्रहलादराम पुत्र सीताराम
2. जिमनाराम उर्फ जवानाराम पुत्र सीताराम
   जाति–जाट, निवासी– अडबड, तहसील–जायल (नागौर)
3. तहसीलदार, जायल

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र सिंह राठोड अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक : 25/05/2022

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ प्रतिवादी संख्या 3 राज पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. मौजा अड़वड़ के खेत खसरा नंबर 184 रकबा 1.9182 वादी सुखराम के हक बंट में रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. मौजा अड़वड़ के खेत खसरा नंबर 255/858 रकबा 0.8094 व खेत खसरा नंबर 255 रकबा 2.4848 पूरा प्रतिवादी संख्या 1 प्रहलादराम के हक बंट कब्जा काश्त में रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. मौजा अड़वड़ के खेत खसरा नंबर 742/928 रकबा 1.7806 प्रतिवादी संख्या 2 जिमनाराम के हक बंट कब्जा काश्त में रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. मामला विनिमय की प्रकृति का होने से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।

25/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25/05/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

25/05/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल